

राजस्थान सरकार

**कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर**

ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

दिनांक २३-८-२०१७

क्रमांक ५७०।

खुली निविदा सूचना


राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक-बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
2 /2017-18	आवासी बालक/बालिकाओं हेतु दवाई/आपूर्ति बाबत	एक वर्ष	250000 (अक्षरे रु. दो लाख पचास हजार)	5000	06.09.2017 5 PM	07.09.2017 12 PM	07.09.2017 2 PM

निविदा प्रपत्र 200/- नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 07.09.17 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट:- 1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट sppp .rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।



अधीक्षक

क्रमांक ५७०२-१०

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- २३/८/२०१७

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को भेज कर निवेदन है कि राज्य उपायन पोर्टल sppp. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
5. श्रीमान उपनिदेशक (जयपुर शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
6. नोटिस बोर्ड
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।


अधीक्षक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

निविदा फार्म

1. विषय :- आवासियों हेतु दवाई आपूर्ति कार्य के लिये निविदा।
1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता
-
2. निविदादाता का मोबाइल नं.....
- 4.. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 02/2017-18
5. निविदा शुल्क की राशि 200 रु अक्षरे दो सौ मात्र (रसीद संख्या) / डीडी / बैंकर्स चैक नंबर दिनांक के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निविदा सूचना, संख्या 02/2017-18 दिनांक जोकि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. दवाई कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, और उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
8. कार्य आदेश प्राप्त होने के अगले दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
9. दवाई आपूर्ति ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :-

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1	गृह में आवासित महिला/बालक आवासियों हेतु चिकित्सक की लिखित राय अनुसार तथा आपातकालीन स्थिति में दवाई आपूर्ति एम.आर.पी. पर न्यूनतम 15 प्रतिशत छूट देते हुए।	2.50 लाख अधिकतम वार्षिक मासिक – आवश्यकतानुसार	

10. उपरोक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैध है, आवश्यकता होने पर पारस्परिक सहमति के आधार पर इस अवधि को अधीक्षक द्वारा पूर्व की शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
11. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये. 5000/- अक्षरे रूपये. पांच हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या/चालान संख्या..... दिनांक जमा करा दी गई है।
12. सेवा प्रदाय करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्यादिनांक वैद्यता अवधि की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
13. आयकर रथाई खाता संख्या.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर

क्रमांक

ई मेल:—mrh.sap@gmail.com
दिनांक

निविदा आमंत्रण सूचना—02/2017-18

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित विमंदित बालक एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यों/आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शन्त्रे आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 06.09.2017 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बयाना राशि (अन्तर्स्ट मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	आवासी बालक/बालिकाओं हेतु दवाई आपूर्ति बाबत	250000	200 रु.	5000

भरी हुई निविदायें दिनांक 07.09.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें दिनांक 07.09.2017 को समय 2.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक

प्रतिबन्ध एवं शर्तें

टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये ।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
3. निविदादाता को अनुमानित लागत रु 2.50 लाख (अक्षरे दो लाख पचास हजार मात्र) का 2 प्रतिशत राशि रु. 5000/- (अक्षरे पाँच हजार मात्र) बयाना राशि (अनेस्टमनी) नकद/बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4. फर्म को आयकर स्थायी खाता संख्या (ऐन कार्ड, चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मय दिनांक, शॉप एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी ।
5. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म/ संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकारारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।
6. निविदादाता द्वारा दरें मय छूट उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा ।
7. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अनेस्टमनी) राशि 5000/- (अक्षरे पाँच हजार मात्र) दिनांक 07.09.2017 को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेप्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 07.09.2017 को 2:00 बजे खोली जायेगी ।
8. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी ।
9. फर्म/ ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारावान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नहीं देगा ।
10. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
11. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी ।
12. करार एवं प्रतिभूति निष्केप:-

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे:-

(क) डीडी/बैंक ड्रापट /बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति ।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।
(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जायेगी।

11. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:-
i. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
iii. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

iv. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा :—

I जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। दवाई आपूर्ति का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर अधिकतम 6 माह के लिये उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई वृत्ति पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

16. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर देय होने पर, आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जायेगे।

17. भुगतानः—भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तें को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल आई.डी. प्रस्तुत करें।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

22. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
24. दवाई आपूर्ति कार्यार्थ चिकित्सक द्वारा लिखित दवाई/उपकरण अथवा अन्य चिकित्सीय सामग्री जो आवश्यक हो 24 घण्टे के भीतर सप्लाई करेंगे तथा आपात कालीन स्थिति में 2 घण्टे के भीतर दवाई अथवा अन्य चिकित्सीय सामग्री सप्लाई करनी होगी।
25. दवाई आपूर्ति निर्धारित छूट देते हुए बिल प्रस्तुत करेंगे।
26. शर्त संख्या 24 में अंकित समय के भीतर ही संवेदक दवाई आपूर्ति के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा प्रति घण्टे विलम्ब पर 100 रुपये शुल्क संवेदक द्वारा देय होंगे।
27. दवाई आपूर्ति के लिये अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी। तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
28. संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेंड नहीं होनी चाहिये, का शपथ उपरोक्त दवाई आपूर्ति कार्य संबंधी शर्तें, मैने/हमने पढ़ ली है, और यह शर्त मुझे/हमें स्वीकार्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

राजस्थान सरकार

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/ हम दवाई आपूर्ति संबंधी कार्य करते हैं। हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/मानी जावेगीं।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता